13. यदि स्केन प्रपत्र 05 से अधिक है तो प्रत्येक स्केन पर 2/ रू0 स्केन अतिरिक्त लिया जायेगा।
14. उक्त योजना के संचालन हेतु पंजिका तैयार करनी होगी,,जिसका आय–व्यय का विवरण तैयार कर प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को लोंकवाणी कार्यालय कलेक्ट्रेट में आडिट कराना होगा।
15. आई0डी0प्रूफ राशन कार्ड,/मूल निवास प्रमाण पत्र/ वोटर आईडीकार्ड/ बैक पासबुक/ ड्राइविंग लाइसेस)
16. उपरोक्त शर्तो को बदलने का अधिकार जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेस सोसाइटी कन्नौज को होगा।
17. कामन सर्विस सेन्टर(जन सेवा केन्द्र)/ लोंकवाणी केन्द्रो को चलाने के लिये निम्न उपकरण का होना आवश्यक है।

1.नवीन टैक्नौलॉसी युक्त कम्प्यूटर
2. लेजर प्रिन्टर
3. स्केनर
4. यू0पी0एस0
5. पावर वैकअप
6. इन्टरनेट कनेक्शन(हाईस्पीड)
7. कामन सर्विस सेन्टर(जन सेवा केन्द्र)/ लोंकवाणी केन्द्रो साइन वोर्ड
8. बेव कैमरा
9. रेट लिस्ट वोर्ड

उक्त विज्ञापन तिथि से 15 दिन के अन्दर आवेदक को आवेदन करना होगा। उक्त आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष संख्या–38 कलेक्ट्रेट में उपलब्ध कराये जायेगें। उक्त विज्ञापन जनपद की बेवसाइड पर भी उपलब्ध है। http:// www.kannauj.nic.in/tender.htm

कामन सर्विस सेन्टर(जन सेवा केन्द्र)/ लोंकवाणी केन्द्रो के कार्यः–

आवेदनकर्ता से डिस्क्ट्रि ई गवर्नेस सोसाइटी कन्नौज द्वारा निर्धारित किये गये प्रारूप एंव रसीद पर आवेदनकर्ता से आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करेगा, तथा निर्धारित शुल्क 20–00 रू0 भी प्राप्त करेगा और उसको रसीद उपलब्ध करायेगा। इसके पश्चाम कामन सर्विस सेन्टर(जन सेवा केन्द्र)/ लोंकवाणी केन्द्रो का यह दायित्व होगा कि वह उक्त आवेदन को उसी दिन निर्धारित बेवसाइड पर फीड करेगा तथा समसत दस्तावेज, आवेदन पत्र एवं फोटो को स्केन कर अपलोंड करेगा ओर बेवसाइड से एक रजिस्टेशन नं प्राप्त करेगां तत्पश्चात उक्त पार्थाना पत्र सम्बन्धित विभाग के अधिकारी के इनवॉक्स में चला जायेगा। जहॉ से सम्बन्धित अधिकारी निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत वॉछित प्रमाण पत्र को स्वीकृत करने की कार्यवाही को पूर्ण करेगा, तथा पूर्ण स्वीकृत प्रमाण पत्र सम्बन्धित कामन सर्विस सेन्टर(जन सेवा केन्द्र)/ लोंकवाणी केन्द्र के इनवॉक्स में प्राप्त हो जायेगा, जहॉ से डिस्क्ट्रि ई गवर्नेस सोसाइटी कन्नौज द्वारा उपलब्ध कराये गये खाली प्रमाण पत्र के पेज पर प्रिन्ट करके आवेदक द्वारा अपने रजिस्टेशन नम्वर को दिखाये जाने पर प्रमाण पत्र उपलबध करायेगा तथा इसके अतिरिक्त शासन द्वारा इस योजना के संचालन से सम्बन्धित समय–समय पर जारी किये जाने वाले दिशा निर्देशो का पालन करना होगा।

अध्यक्ष/जिलाधिकारी
डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेस सोसाइटी
कलेक्ट्रेट कन्नौज

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपिः–

सम्बाददाता दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि स्थानीय समाचार पत्रो के अगले अंक में प्रकाशित कराते हुये नियमानुसार बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष/जिलाधिकारी
डिस्ट्रिक्ट ई गवर्नेस सोसाइटी
कलेक्ट्रेट कन्नौज